

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 396

प्रकरण क्रमांक- M-COM-2024-02531

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "श्री पुरम" प्रमोटर-एपेक्स रियल इन्फ्रास प्रा.लि., द्वारा-श्री विकास अग्रवाल, पता-मेन हास्पिटल के सामने, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"श्री पुरम" पता-जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 10/01/2025 | <p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 10,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 03.01.2025 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट के क्रय-विक्रय पर लगाया गया प्रतिबंध को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में जिला-पंजीयक एवं उप-पंजीयक, जिला-रायगढ़ को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p> | |